

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशन के लिए)

संख्या फा. 4(1)/2008-हिन्दी
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

87, संसद भवन,
नई दिल्ली।

16 नवंबर, 2009

संकल्प

संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन संबंधी समसंख्यक संकल्प दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के अधिक्रमण में, भारत सरकार एतद्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में निम्न प्रकार से आशोधन करती है :-

(1) गठन

इस समिति के निम्नलिखित सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य होंगे:-

सरकारी सदस्य

1. संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री - अध्यक्ष
2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक
शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय
कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री - उपाध्यक्ष
3. संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री - सदस्य

गैर-सरकारी सदस्य

(क) संसद सदस्य

लोक सभा से दो सदस्य

4. श्री सन्दीप दीक्षित,
संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य
5. श्री लालजी टंडन,
संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

राज्य सभा से दो सदस्य

6. प्रो. अल्का बलराम क्षत्रिय,
संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य

7. श्री नन्दकिशोर सिंह
संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य

(ख) **संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित दो संसद सदस्य**

8. श्री दारा सिंह चौहान,
संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

9. श्री प्रभात झा,
संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य

(ग) **अखिल भारतीय हिन्दी संस्था के प्रतिनिधि**

10. प्रो. अनन्तराम त्रिपाठी, प्रधानमंत्री,
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति- वर्धा,
पोस्ट हिन्दी नगर,
वर्धा, महाराष्ट्र- 442003 सदस्य

(घ) **मंत्रालय द्वारा नामांकित सदस्य**

11. श्री हिमांशु जोशी,
7/C 2, हिन्दुस्तान टाइम्स अपार्टमेंट्स,
मयूर विहार - फेज़- I,
नई दिल्ली - 110091 सदस्य

12. श्री बालस्वरूप राही,
एफ 3/10, माडल टाउन,
दिल्ली - 110009 सदस्य

13. श्री अनिरुद्ध जोशी,
212 बी.पी., एम.डी.सी., सैक्टर -IV,
पंचकुला - 134114
हरियाणा सदस्य

14. श्री आर. विजयन थम्पी, सदस्य
दीसीया हिन्दी अकादमी,
पेरुंगुजी पोस्ट आफिस, चिरायिकीज,
तिरुअनंतपुरम,
केरल - 695305

(ड) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि

15. श्री सुरेश तिवारी, सदस्य
सहायक महाप्रबंधक, प्रचालन निदेशालय,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
(निगमित कार्यालय, सेल)
पांचवीं मंजिल, इस्पात भवन, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110003

(च) गृह मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

16. डा. पद्माशा झा, सदस्य
कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा,
बिहार।
17. श्रीमती अनवर जहां खानम, सदस्य
ग्राम एवं पोस्ट - कोठिया, भाया - पिन्डारक,
थाना - कमतौल, प्रखण्ड - केवटी,
जिला - दरभंगा, बिहार।
18. प्रो.चुलहाई प्रसाद साह, सदस्य
ग्राम - करूणा, पोस्ट - विशौल,
थाना - हरलाखी, जिला - मधुबनी,
बिहार।

अन्य सरकारी सदस्य

19. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय सदस्य
20. सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार सदस्य
के हिन्दी सलाहकार
21. संयुक्त सचिव/निदेशक, राजभाषा विभाग सदस्य

22.	निदेशक (यु.सं.), संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य-सचिव
23.	उप सचिव (वि.), संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
24.	उप सचिव (प्र.), संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य

(2) **कार्यक्षेत्र**

इस समिति का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के कार्यान्वयन के बारे में मंत्रालय को सलाह देना होगा।

(3) **कार्यकाल**

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, बशर्ते कि:-

- (क) कोई भी सदस्य, जो संसद सदस्य है, संसद का सदस्य न रहने पर इस समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उन पदों पर हैं, जिसके कारण वह समिति के सदस्य हैं।
- (ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किए गए सदस्य का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा।

(4) **सामान्य**

समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा।

(5) **यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते**

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 3 फरवरी, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/04/2005-रा.भा.(नीति-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और वेतन तथा लेखा कार्यालय, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

ह./-

(अनिल कुमार)

सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं. 23034644

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

संख्या फा. 4(1)/2008-हिन्दी

नई दिल्ली, 16 नवंबर, 2009

1. समिति के सभी सदस्य।
2. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
10. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
11. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
12. योजना आयोग, नई दिल्ली।
13. वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली।
14. श्री सत्येन्द्र प्रकाश, निदेशक, प्रैस सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। यह अनुरोध है कि सरकार के उक्त निर्णय पर एक प्रैस नोट जारी करें। (5 प्रतियां)
15. राजभाषा विभाग (रा.भा.)(क-2), लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली। (5 प्रतियां)
16. संसदीय राजभाषा समिति, 11- तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
17. संसद ग्रन्थालय, संसद भवन, नई दिल्ली। (15 प्रतियां)
18. विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली। (10 प्रतियां)
19. संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री के निजी सचिव।
20. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के निजी सचिव।
21. संसदीय कार्य तथा योजना राज्य मंत्री के निजी सचिव।
22. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।
23. निदेशक/उप सचिव (विधायी)/उप सचिव(प्रशासन) के निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक।
24. अवर सचिव (प्रशासन)/(यु.सं.)/(विधायी)/(सां.प.)/(समिति)/(कार्या.) के वैयक्तिक सहायक।
25. मंत्रालय के सभी अनुभाग/ अनुसंधान अधिकारी ।

ह./-

(अनिल कुमार)

सचिव, भारत सरकार

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशन के लिए)

संख्या फा. 4(1)/2008-हिन्दी

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

87, संसद भवन,
नई दिल्ली।

27 अक्टूबर, 2008

संकल्प

संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के कार्यकाल की समाप्ति पर, भारत सरकार एतद्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से करती है:-

(1) **गठन**

इस समिति के निम्नलिखित सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य होंगे:-

सरकारी सदस्य

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | प्रवासी भारतीय कार्य और संसदीय कार्य मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. | वित्त और संसदीय कार्य राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |
| 3. | ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य राज्य मंत्री | सदस्य |
| 4. | संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री | सदस्य |

गैर-सरकारी सदस्य

(क) **संसद सदस्य**

लोक सभा से दो सदस्य

- | | | |
|----|--|-------|
| 5. | श्री सन्दीप दीक्षित,
संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 6. | प्रो. रासा सिंह रावत, | सदस्य |

संसद सदस्य (लोक सभा)

- 2 -

राज्य सभा से दो सदस्य

7. प्रो. अल्का बलराम क्षत्रिय,
संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य

8. श्री नन्दकिशोर सिंह
संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य

(ख) **संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित दो संसद सदस्य**

9. श्री सुब्रत बोस
संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

10. रिक्त सदस्य

(ग) **अखिल भारतीय हिन्दी संस्था के प्रतिनिधि**

11. प्रो. अनन्तराम त्रिपाठी, प्रधानमंत्री,
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति- वर्धा,
पोस्ट हिन्दी नगर,
वर्धा, महाराष्ट्र- 442003 सदस्य

(घ) **मंत्रालय द्वारा नामांकित सदस्य**

12. श्री हिमांशु जोशी,
7/C 2, हिन्दुस्तान टाइम्स अपार्टमेंट्स,
मयूर विहार - फेज़- I,
नई दिल्ली - 110091 सदस्य

13. श्री बालस्वरूप राही,
एफ 3/10, माडल टाउन,
दिल्ली - 110009 सदस्य

14. श्री अनिरुद्ध जोशी,
212 बी.पी., एम.डी.सी., सैक्टर -IV,
पंचकुला - 134114
हरियाणा सदस्य

15. श्री आर. विजयन थम्पी, सदस्य
दीसीया हिन्दी अकादमी,
पेरुंगुजी पोस्ट आफिस, चिरायिकीज,
तिरुवनंतपुरम,
केरल - 695305

(ड) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि

16. श्री सुरेश तिवारी, सदस्य
सहायक महाप्रबंधक, प्रचालन निदेशालय,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
(निगमित कार्यालय, सेल)
पांचवीं मंजिल, इस्पात भवन, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110003

(च) गृह मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

17. डा. पद्माशा झा, सदस्य
कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार।

18. श्रीमती अनवर जहां खानम, सदस्य
ग्राम एवं पोस्ट - कोठिया, भाया - पिन्डारक,
थाना - कमतौल, प्रखण्ड - केवटी,
जिला - दरभंगा, बिहार।

19. प्रो. चुलहाई प्रसाद साह, सदस्य
ग्राम - करूणा, पोस्ट - विशौल,
थाना - हरलाखी, जिला - मधुबनी,
बिहार।

अन्य सरकारी सदस्य

20. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय सदस्य

21. सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार
के हिन्दी सलाहकार सदस्य

22.	संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य-सचिव
- 4 -		
23.	संयुक्त सचिव/निदेशक, राजभाषा विभाग	सदस्य
24.	निदेशक (अ.स.), संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
25.	उप सचिव (वि.), संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
26.	उप सचिव (प्र.), संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य

(2) कार्यक्षेत्र

इस समिति का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के कार्यान्वयन के बारे में मंत्रालय को सलाह देना होगा।

(3) कार्यकाल

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, बशर्ते कि:-

- (क) कोई भी सदस्य, जो संसद सदस्य है, संसद का सदस्य न रहने पर इस समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उन पदों पर हैं, जिसके कारण वह समिति के सदस्य हैं।
- (ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किए गए सदस्य का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा।

(4) सामान्य

समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा।

(5) यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 3 फरवरी, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/04/2005-रा.भा.(नीति-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और वेतन तथा लेखा कार्यालय, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

ह./-

(पी. गोपालाकृष्णन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं. 23034734

सेवा में,

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)

संख्या फा. 4(1)/2008-हिन्दी

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2008

1. समिति के सभी सदस्य।
2. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
10. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
11. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
12. योजना आयोग, नई दिल्ली।
13. वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली।
14. श्री रवीन्द्र सिंह, निदेशक, प्रैस सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। यह अनुरोध है कि सरकार के उक्त निर्णय पर एक प्रैस नोट जारी करें (5 प्रतियां)
15. राजभाषा विभाग (रा.भा.)(क-2), लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली। (5 प्रतियां)
16. संसदीय राजभाषा समिति, 11- तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
17. संसद ग्रन्थालय, संसद भवन, नई दिल्ली। (15 प्रतियां)
18. विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली। (10 प्रतियां)
19. प्रवासी भारतीय कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव।
20. वित्त और संसदीय कार्य राज्य मंत्री के निजी सचिव।
21. ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री के निजी सचिव।
22. संसदीय कार्य तथा योजना राज्य मंत्री के निजी सचिव।
23. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।
24. संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के निजी सचिव।
25. निदेशक/उप सचिव (विधायी)/उप सचिव(प्रशासन) के निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक।
26. अवर सचिव (प्रशासन)/(यु.सं.)/(विधायी)/(सां.प.)/(समिति) के वैयक्तिक सहायक।
27. मंत्रालय के सभी अनुभाग।

ह./-

(पी. गोपालाकृष्णन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं. 23034734